न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट दौसरा

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 211/2013

दर्ज दिनांक: 17/06/2013

निर्णय दिनांक : 06/06/2018

बाबूलाल पुत्र नाथू जाति नाई उम्र 32 वर्ष, निवासीः ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ मण्डालिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।

--वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र नाथू
2. कानाराम पुत्र नाथू
3. छोटूराम पुत्र नाथू

   समस्त जातियात नाई, निवासीगणः गोविन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. नानगी धर्मपत्नि नाथू जाति नाई, निवासीः गोविन्दपुरा उर्फ मण्डालिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
5. तहसीलदार, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. उप पंजीयन माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

--प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

-: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय द्वारा दिनांक 14/06/2017 को इस आशय का प्राथमिक

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री किया गया था कि " अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नंबर 17/1/2 रकबा 7 बीघा भूमि वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात का मौका कब्जा सहमति अथवा बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जाकर तहसीलदार फागी को नक्शे कुरेजात दो–दो प्रतियो में भिजवाये जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। तहसीलदार फागी से नक्शे कुरैजात प्राप्त हुये, शामिल पत्रावली किये गये।

बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। नक्शे कुरेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नक्शे कुरेजात प्राथमिक डिक्री निर्णयानुसार प्राप्त हुये। वकील पक्षकारान द्वारा प्राप्त नक्शे कुरेजात के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बाद अवलोकन तहसीलदार फागी से प्राप्त नक्शे कुरेजात को सही पाया जाकर वादी वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजीयात स्थित ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ मण्डालिया, तहसील फागी, जिला जयपुर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	हनुमान पुत्र नाथू कौम नाई सा. देह	17/1	1.08
2.	कानाराम पुत्र नाथू कौम नाई सा. देह	17/2	1.08
3.	बाबूलाल पुत्र नाथू कौम नाई सा. देह	17/3	1.08
4.	छोटूराम पुत्र नाथू कौम नाई सा. देह	17/4	1.08
5.	नानगी पत्नि स्व. नाथू कौम नाई सा. देह	17/5	1.08

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06/06/2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट दौसरा में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी

Scanned by CamScanner